न्यायालय – तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णियॉ
जमानत आवेदन संख्या –169 / 2026
सी.आई.एस. संख्या – 169 / 2026

07.03.2026– दिनांक–13.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में काराधीन अभियुक्तगण **मो0 जमशेद एवं मो0 इजहार** की ओर से भवानीपुर थाना काण्ड संख्या–185 / 2025, अंर्तगत धारा 309(4) बीएनएस में श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत आवेदन दिनांक–16.02.2026 को दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को सेवित की गयी है तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार स्थानान्तरित होकर दिनांक–17.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

2. आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रणव किशोर आनन्द एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अजय सिंह को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक की ओर से कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक संख्या–1 का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है किन्तु आवेदक संख्या–2 के विरूद्ध मधेपुरा थाना काण्ड संख्या–155 / 25, 156 / 25 एवं भागलपुर थाना काण्ड संख्या–144 / 25 और सबौर थाना काण्ड संख्या–126 / 22 दर्ज है। आवेदकगण का नाम इस वाद में स्वयं के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है जिसका कोई नैतिक मुल्य नहीं है। आवेदक के पास से किसी भी सामान की बरामदगी नहीं हुई है।आवेदकगण के पास पर्याप्त चल–अचल संपत्ति है जिससे उसके फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक 13.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदकगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदकगण को जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

4. सूचक बिनोद कुमार राम के फर्दबयान के आलोक में अभियोजनवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.07.2025 समय करीब 16.30 बजे दिन में अपने घर से 200x35=7000/- एवं 500x86=43000/- कुल 50,000 / – रूपया अपने हपने हुए जींस के दाहिने पॉकेट में रखकर भवानीपुर बाजार से खाद–बीज बगैरह की खरीद करने के लिए अपनी स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था। जब हम बिरंची मंडल उच्च विद्य ालय बड़हरी के सामने पक्की सड़क पर पहुंचे तो पीछे से एक बिना नंबर का पल्सर मोटरसाइकिल जिसका रंग–काला बिना नंबर का जिसपर 3 व्यक्ति सवार थे हमसे ओवरटेक कर मेरा मोटरसाइकिल रोक दिया तो हम उससे आगे निकले का प्रयास किये। मोटरसाइकिल चचला रहा अपराधी हेलमेट पहने हुए था वह अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट रखा जो देखने में लंबा, साधारण कद काठी का था। उस मोटरसाइकिल के पीछे बैठा एक अपराधी जिसका रंग–गोरा, लंबा एवं साधारण कद का था और उजला रंग का सर्ट एवं ब्लू रंग का जींस पहना हुआ था। वह मोटरसाइकिल से उतरा और सामने से कटटा दिखाकर रोक लिया और स्थानीय भाशा मे गाली देते हुए बोला कि तुम्हारे पास जो कुछ है निकाल कर दे दो नहीं तो जान मार देंगें। तब तक उस मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ एक अन्य अपराधी जिसका रंग सांवला एवं शरीर साधारण चेहरा पर मास्क पहना हुआ था वह भी आ गया और मेरा पॉकेट चेक करने लगा तथा दोनों मिलकर कट्टा के बल पर मेरे पॉकेट में रखा हुआ 50,000 / –रूपया, वीवो

न्यायालय – तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णियॉ
जमानत आवेदन संख्या –169 / 2026
सी.आई.एस. संख्या – 169 / 2026

कंपनी का मोबाइल नंबर–7488275520 लगा हुआ एवं मेरे नाम का आधार कार्ड ले लिया। कटटा लिया हुआ अपराधी कटटा सटाकर रखा और दूसरा व्यक्ति मेरे गले में पहना हुआ सोना का चकती को दॉत से काटकर ले लिया। पुनः तीनों अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर अक. बरपुर के तरफ भाग गया।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के जमानत का विरोध किया गया।

6. उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्त पर अभियोग है कि उन्होंने सूचक से रास्ते में मोटरसाइकिल ओवरटेक कर उसके पास से 50 हजार रूपया, आधार कार्ड, मोबाइल, व पहना आभूषण छीन लिया और भाग गया। वाद की सुनवाई के दौरान मूल अभिलेख की मांग की गयी जो प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि काण्ड दैनिकी में संलग्न आवेदक अभियुक्त मो0 इजहार का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें आवेदक ने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है साथ ही आवेदक का मधेपुरा पुरैनी थाना काण्ड संख्या–155 / 25, 156 / 25, 144 / 2025 एवं भागलपुर सबौर थाना काण्ड संख्या–126 / 22 का आपराधिक इतिहास है। आवेदक मो0 जमशेद को कोई आपराधिक इतिहास नहीं है इस संबंध में आवेदक की ओर से एक एफिडेविट उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल किया गया है।

7. उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों में आवेदक अभियुक्त सीधी संलिप्तता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आवेदक अभियुक्त **मो0 इजहार** का जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है। आवे. दकगण दिनांक 13.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

एवं उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा अभियुक्त द्वारा कारा में बिताये गये अवधि को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक अभियुक्त **मो0 जमशेद** को मो0–10,000 / – रूपये के तथा इतने ही राशि के दो समान प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक–07.03.2026

(लेखापित)
ह0 / –
(ठाकुर अमन कुमार)
तृतीय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियॉ।

–